



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या-18/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक-05.03.2025

निर्णय दिनांक-08.10.2025

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी-568, मालवीय नगर, जयपुर (राज0)

वादी

### बनाम


1. गणेश पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामराज पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. शंकरलाल पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. अनिता पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. छोटा पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. मौसम पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. रसाल पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. राधा पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. सायर पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. मनभर पत्नि हजारी जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. उप पंजीयक पीपलू / राणोली जिला टोंक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी-श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0

श्री हेमराज गुर्जर एड0

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10-अनुपस्थित

  
उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोंक)




दावा बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92-ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी विमल मेहता बनाम गणेश वगै० प्रकरण संख्या 18/2025 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख०न० 65 रकबा 02-01 बीघा (0.5184 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह० पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2007 को खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 के दादा रामचन्द्र पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी इब्राहीमाबाद से खरीद की है। तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी को आवश्यकता होने पर अपनी जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई की उक्त भूमि का नामान्तरण वादी के नाम नहीं हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेता व उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वादी ने अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर तहसीलदार पीपलू के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उन्होंने बताया की विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण न्यायालय आदेश के बिना हम उक्त भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज नहीं कर सकते। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 से मिलकर उक्त भूमि को रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने बाबत प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त आराजीयात का अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व वादी के हक में निहित हो चुके थे, किन्तु वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 ने उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात भी अपने हक में नामान्तरण दर्ज करवा लिया। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस कारण उक्त भूमि के रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी का उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात का मालिक, काबिज स्वामी है। इस कारण वादी को उक्त वर्णित आराजीयात ख०न० 65 रकबा 0.5184 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हटाया जाकर वादी का अंकन कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

  
उप खण्ड अधिकारी,  
पीपलू (टोंक)






वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम अंकित है। प्रतिवादीगण के दादा व पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण विक्रय के पश्चात किये गये दरतावेज वादी के हितों के विपरित एवं शून्य पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 65 रकबा 0.5184 हैक्टर, वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बावत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे की वे स्वयं, जरिये एजेन्ट नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग-उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी. जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं वादी विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन ने अपने शपथ पत्र में कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्टर.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है और काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2007 को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के दादा रामचन्द्र पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद से खरीद की है। तब से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में शपथकर्ता को आवश्यकता होने पर अपनी जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई की उक्त भूमि का नामान्तरण मुझ शपथकर्ता वादी के नाम नहीं हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेता के वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए शपथकर्ता ने न्यायालय में उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है, जो डिक्री किये जाने योग्य है। तत्कालीन खातेदारान् द्वारा उक्त वर्णित भूमि को मुझ शपथकर्ता/वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व मुझ शपथकर्ता के हक में निहित हो चुकी थे, किन्तु मुझ शपथकर्ता के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी अपने हक में नामान्तरण दर्ज करवा लिया। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही था.

  
उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोंक)



इस कारण उक्त भूमि के रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर मुझ शपथकर्ता वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम अंकित है। प्रतिवादीगण के दादा व पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण विक्रय के पश्चात किये गये दस्तावेज वादी के हितों के विपरित एवं शून्य है। अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 65 रकबा 0.5184 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे की वे स्वयं, जरिये एजेन्ट नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काशत की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग-उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।


साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 शंकरलाल जाट पुत्र हजारी लाल जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 65 रकबा 02-01 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है, जो पूर्व में प्रतिवादीगण के दादा के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 18 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी, तब से वादी का उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। मैं उक्त भूमि को मैंने दो वर्ष पूर्व अन्य भूमियों के साथ आधोली पर काशत की थी। मुझे वादी द्वारा ही आधोली पर काशत करने हेतु दी गई थी। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर खरीद के पश्चात कभी कब्जा काशत नही रहा है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 नन्दराम पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 65 रकबा 02-01 बीघा वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है, जो पूर्व में प्रतिवादीगण के दादा के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 18 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी, तब से वादी का उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। मैं उक्त भूमि को मैंने दो वर्ष पूर्व अन्य भूमियों के साथ आधोली पर काशत की थी। मुझे वादी द्वारा ही आधोली पर काशत करने हेतु दी गई थी। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर खरीद के पश्चात कभी

उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टॉक)

काशत नहीं रहा है। मैं उक्त भूमियों की तरफ से आती जाता रहता हूँ। क्योंकि उक्त भूमियों का पड़ोसी खातेदार हूँ। उक्त भूमि को वादी से आधोली पर लेकर काशत की है।


अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी खाना 65 रकबा 02-01 बीघा (0.5184 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के दादा रामचन्द्र पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी इब्राहीमाबाद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसको वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 05.12.2007 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तब से उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने असल विक्रय पत्र नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था, लेकिन वादी बाहर रहने के कारण समय पर अपने हक में हुए विक्रय पत्र का नामान्तकरण नहीं खुलवा सका। कुछ समय पश्चात विक्रेता रामचन्द्र पुत्र श्योराम की मृत्यु हो गई तो उक्त भूमि विक्रेता के पुत्र हजारी पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज हो गई तथा उस समय भूमि रहन मुक्त थी। तत्पश्चात् हजारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट की मृत्यु हो गई। उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 718 दिनांक 08.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम दर्ज हो गया। जबकि भूमि नियमानुसार भूमि का विक्रेता द्वारा बेचान किये जाने किये जाने पर समस्त हक व अधिकार क्रेता में समाहित हो जाते हैं। इस कारण जो नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम गलत किया गया है, गलत एवं विधि विरुद्ध है तथा पश्चातवृत्ति जो भी दस्तावेज हुये हैं। वे वादी के हितो के प्रतिकूल हैं। वादी ने वर्तमान समय में ऑनलाईन जमाबंदी होने पर अपनी भूमि की जमाबंदी देखी तो ज्ञात हुआ की उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तब वादी ने माननीय न्यायालय में विक्रय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसको माननीय न्यायालय ने दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में स्वयं वादी, नन्दराम गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी इब्राहीमाबाद व शंकरलाल जाट पुत्र हजारी जाट निवासी इब्राहीमाबाद बयान दर्ज करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहनो ने अपने बयानो में कथन किया की हम वादी व प्रतिवादीगण व उपरोक्त भूमि को जानते पहचानते हैं। उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है और वादी ही काशत करता चला आ रहा है। हमने भी उक्त भूमि को आधोली पर काशत की है, जो वादी के कहने पर ही की है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर वादी ही काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त वाद के साथ विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत किया, जो रजिस्टर्ड विक्रय है। जिसको किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड है, जो सन्देह से परे है। जब तक वादी के हक में हुआ रजिस्टर्ड विक्रय

  
उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोंक)



पत्र अस्तित्व में है, तो वादी के हक में अधिकारो को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब विक्रेता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपने नाम भूमि का हस्तान्तरण कर देता है, तो उसके सारे हक अधिकार तुरन्त क्रेता में समाहित हो जाते हैं। प्रथम विक्रय पत्र हो जाने के बाद पश्चातवर्ती विक्रय पत्र या दस्तावेज शून्य होते हैं। जिनके पश्चातवर्ती क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण वादी के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पश्चात कोई भी दस्तावेज हुए हैं, तो वह वादी के हितों के तक शून्य है। वादी ने अपना वाद पत्र बखूबी दस्तावेजो व मौखिक बयानो से सिद्ध किया है तथा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के उपरान्त भी तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मौखिक बयानों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर खरीद के पश्चात वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। क्रेता का केवल नामान्तरण नहीं खुलने से उसको अपने हक अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि नामान्तरण एक सरसरी कार्यवाही है। जिससे किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं। ऐसी स्थिती में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है की वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करे। वादी ने अपनी लिखित बहस के समर्थन में कानूनी नजीरे RRT 2016-17 Page 459, RRT 2011 (1) Page 159, RRT 2012 (1) Page 374, RRT 2011-12 (Sup) Page 498, RRT 2009-10 (Sup) Page 411 पेश की।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादी की लिखित बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रयपत्र पत्र एक पंजीबद्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के दादा द्वारा बिलएवज मुबलिग 61,500 रुपये अक्षरे इकसठ हजार पांच रुपये मात्र में विक्रय कर दिया है यानि बेचान कर दिया है ओर विक्रित भूमि की एवज में समस्त राशि क्रेतागण से नगद बाला बाला रुबरु गवाहन मौके पर प्राप्त कर ली है। अब क्रेतागण से भी कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। क्रेतागण से राशि नकद प्राप्तकर मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से मौके पर जाकर चारो ओर की सीमाये बताकर कब्जा क्रेतागण को संभला दिया है। विक्रय पत्र में प्रतिफल राशि दिये/लिये जाने का अंकन है। वादी/क्रेता एक सद्भावी क्रेता है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक 2007002021 उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 05.12.2007 रुबरु गवाहन विधिवत् पंजीबद्ध किया गया है। उक्त विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया है। इस कारण वादी विवादित आराजीयात ख0न0 65 रकबा 02-01 बीघा (0.5184 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा के खातेदारी पाने के हकदार है। प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चरप्पा होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि भूमि आराजी ख0न0 65 रकबा 02-01 बीघा (0.5184 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार खातेदार काश्तकार

  
उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टॉक)



प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का  
प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 को जरिये  
नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा  
के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी  
आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।  
शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो

(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)  
उप सप्ले अधिकारी पीपलू  
पीपलू (डी.डी. 0)

डिक्री मुकदमा इत्दादाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)

व अलजास गणराज बडगोती आर०ए०एस०

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी-568, मालवीय नगर, जयपुर (राज०)

बनाम

वादी

गणेश पुत्र हजारी जाति जाट निवासी इब्राहीमाबाद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)

(कुल कस 12) प्रतिवादीगण

**मुकदमा न० 18 / 2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री नन्दकिशोर शर्मा एड०, श्री हेमराज गुर्जर एड० मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर व डिक्री दी जाती है की भूमि आराजी ख०न० 65 रकबा 02-01 बीघा (0.5184 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार विवादित आराजीयात खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे।

निजी..... मबलिक..... बाबत..... खर्चा इस

मुकदममें कर्माभिय/सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... को अदा करे।



बसख्त मोहं देस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोंक)

मोहर



दस्तावेज...  
ओहदी...  
उप खण्ड अधिकारी  
वीरलु (टॉक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।